न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -05/2021

अनवान

1. नन्दकंवर पुत्री श्री रामकिशन धोबी पत्नि शोभाराम जाति धोबी आयु 40 वर्ष निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. मंजू बाई पुत्री रामकिशन धोबी पत्नि श्री देवकरण जाति धोबी आयु 35 वर्ष निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा हाल निवासी हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. गुडडी बाई पुत्री रामकिशन धोबी पत्नि श्री रामावतार धोबी जाति धोबी आयु 37 वर्ष निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा हाल निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. ममता बाई पुत्री रामकिशन धोबी पत्नि श्री सत्यनारायण जाति धोबी आयु 32 वर्ष निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा हाल निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बूंदी।,
5. श्रीमति बिना पुत्री श्री रामकिशन धोबी पत्नि श्री नरेश धोबी जाति धोबी आयु 30 वर्ष निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा हाल निवासी पारलिया तहसील दिगोद जिला कोटा।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धावदकलां पं.स. भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. जनकीलाल पिता बरदीचंद धोबी जाति धोबी आयु बालिग निवासी धावदकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

नामान्तकरण संख्या 262 दिनांक 05.08.2014 को सरपंच ग्राम पंचायत धावदकलां तहसील रावतभाटा

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलाण्ट।
श्री पराग त्रिपाठी रेस्पोडेण्टस संख्या 03
01 एकतरफा कार्यवाही व 02 पेरोकार सरकार।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

निर्णय दिनांक 01.10.2024

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम धावदकलां प0ह0 धावदकलां की जमाबंदी 2064-64 में खाता संख्या 171 खसरा संख्या 432, 433, 434, 435, 471, 472, 473, 485, 490, 494, 495, 497, 558, 597, 620, 682 कुल किता 16 कुल रकबा 12.28 है0 कृर्षि भूमि जो खाते में सत्यनारायण , प्रकाश, रामस्वरूप पिता उदा, प्रहलाद, रूपलाल पिता नंदा, मु. भंवरी बेवा नंदा, रामचन्द्र, रामकिशन, श्यामलाल, बरदीचंद पित[illegible]नलाल पिता सुखा धोबी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जिस पर सभी खातेदार अ[illegible] पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा हम अपीलार्थी[illegible] अलावा अन्य कोई रामकिशन के जायंदा संतान नही है तथा हमारे पिता स्व0 रामकि[illegible] स्वर्गवास दिनांक 21.01.2010 को हो गयी थी, उसके बाद ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा जो नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 05.08.2014 को स्व0 रामकिशन के बजाये जानकीलाल, नन्दकंवर, मंजू बाई, गुडडी बाई, ममता बाई, बीना के नाम दर्ज हुआ। जिसे ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा दिनांक 05.08.2014 को ही तस्दीक किया था, वक्त नामान्तरण तस्दीक प्रस्तुत ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा स्व0 रामकिशन के वारिसान की सही जांच नहीं कर आनन फानन में रेस्पोडेण्ट संख्या 03 जानकीलाल के प्रभाव में आकर आनन फानन में नामान्तरण तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौ[illegible])

कर जानकीलाल ने अपना नाम भी नामान्तरण में दर्ज करवा लिया है, स्व रामकिशन के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार है:-

रामकिशन (फौत)

नन्दकंवर (पुत्री)	मंजू बाई (पुत्री)	गुडडी बाई (पुत्री)	ममता बाई (पुत्री)	बीना (पुत्री)	दाखा बाई फौत(पत्नि)

इस प्रकार स्व0 रामकिशन जी के स्वर्गवास के बाद उक्त नामान्तरण खोलते वक्त ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा उनके वारिसान की जांच नहीं कर आनन फानन में गलत तरीके से जानकीलाल के नाम नामान्तरण तस्दीक किया है, जबकि जानकीलाल स्व0 रामकिशन जी का जायंदा पुत्र नहीं है, जानकीलाल बरदीचंद जी का पुत्र है, इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 262 खारीज योग्य है। उपरोक्त ग्राम धावदकलां की खाता संख्या नया 187 खसरा संख्या 432, 433, 434, 435, 471, 472, 473, 485, 490, 494, 495, 497, 558, 597, 620, 682 कुल किता 16 कुल रकबा 12.28 है0 कृषि आराजीयात अपीलार्थीगण एवं सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्त में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 05.08.2014 तस्दीक किया गया है, उसे निरस्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पुनः स्व0 रामकिशन के वारिसान की जांच कर नये सिरे से सही नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी/रेस्पोडेण्टस को तलब करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को न्यायालय द्वारा अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा दिनांक 12.09.2024 को जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार प0ह0 धावदकलां द्वारा मुताबिक मौमबिरानों के रामकिशन पिता गोपी धोबी (फौत) के विधिक वारिसान की जांच की गई जिनमें एक पुत्र (7-8 वर्ष की आयु में मृत्यु हो चुकी है), पांच पुत्रियाँ (नन्दकवंर, मंजू, गुडडी, ममता, बीना) एवं एक पत्नि दाखा बाई है। परन्तु मौतबिरान अनुसार यह जाहिर किया गया कि रामकिशन द्वारा स्वयं के भाई बरदीचंद के पुत्र जानकीलाल को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गया। मौतबिरान एवं बरदीचंद के अनुसार उनके पास तत्समय की कोई भी रजिस्टर्ड गोदनामा नही है। बरदीचंद द्वारा गांव के लोगो से जानकीलाल को गोद लेने के संबंध में शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत किये गये। मुताबिक रिकार्ड अनुसार नामान्तरण संख्या 262 एवं सपोर्टिंग दस्तावेज में ग्राम पंचायत के लेटरपेड पर हस्ताक्षर रहित सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र (रामकिशन) सलंग्न है।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी पैरवी हेतु मय वकालतनामा उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट के जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 आंशिक रूप से स्वीकार है लेकिन यह अस्वीकार है कि हमारे द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर गलत नामांरण खुलवाया हो जबकि वास्तविकता यह है कि श्री रामकिशन धोबी द्वारा अपने जीवन काल में ही समाज की सामाजिक रिति-रिवाज के अनुसार जानकीलाल पिता बद्रीचंद धोबी को गोद ले लिया था रामकिशन धोबी द्वारा हमारे परिवार से समझोता कर उक्त आराजी श्री जानकीलाल पिता बरदीचंद को आपसी सहमति से दे दी थी लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि की राशि में इजाफा होने से प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने की वजह से उक्त पारिवारिक समझोते पर कायम नहीं है। जबकि तहसील रावतभाटा द्वारा नियमानुसार नामांतरण खोल कर श्री [illegible] का नाम दर्ज खाता किया है। अन्त में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील इन[illegible] वास्ते [illegible]मांतरण का निस्तारण फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अपील इन्तकाल पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ध[illegible]कलां ने प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश पारित करने में अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया ना ही किसी प्रकार का कोई सूचना दी, तथा अपीलाण्ट्स की गैर उपस्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया। उक्त आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत धावदकलां ने कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना की है व विपक्षीगण के कहे अनुसार बिना किसी जांच के नामान्तरकरण आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

विपरीत वकील विपक्षीगण ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 स्व0 रामकिशन जी के गोद पुत्र है उन्हे अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार नियमों के तहत अधिकार प्राप्त होने से उनका नामान्तरकरण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कायम किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील इंतकाल स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी नामान्तरण में संबंधित ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा पक्षकारों को बिना किसी पूर्व सूचना दिये और सुनवाई का मौका दिये बिना ही जल्दबाजी में नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में पांच पुत्रियों के नाम दर्ज करने के साथ ही जानकीलाल का नाम भी दर्ज कर दिया जबकि अपीलाण्टगण के अलावा स्व0 रामकिशन के कोई जायंदा वारिसान नही है और बिना किसी उचित जांच व सुनवाई के एकतरफा कार्यवाही कर नामान्तकरण स्वीकृत किया, जो नियमों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या 1 का कथन है कि जानकीलाल स्व0 रामकिशन की गोद पुत्र है जिसे सामाजिक रिति रिवाजो के साथ गोद लिया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धावदकलां द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 05.08.2014 को निरस्त करते हुए नये सिरे से विधिक वारिसान की जांच किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested